



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैंगेस्टर अभियुक्तों की आपराधिक कृत्यों से अर्जित लगभग इक्यावन लाख

बारह हजार की सम्पत्ति जब्त

दिनांक:-09.09.2021

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.09.21 को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर अवैध शराब कारोबार/तस्करी जैसे आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित किये गये 01 मकान, 01 चौपहिया व 01 दोपहिया वाहन को थाना रेउसा से सम्बन्धित मु0अ0सं0 192/21 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। जब्त की गयी संपत्तियों की कुल वर्तमान अनुमानित कीमत लगभग 51,12,000/- रुपये (इक्यावन लाख बारह हजार रुपये) आंकी गयी है।

अभियुक्तों 1.नरेन्द्र वर्मा पुत्र रामअकबाल वर्मा निवासी ग्राम नरेन्द्रपुर थाना सदरपुर सीतापुर 2.लालू उर्फ शिवम पुत्र नरेश चन्द्र निवासी ग्राम कोटरा थाना बिसवां सीतापुर 3.सुफील पुत्र जहीर निवासी ग्राम बसुदहा थाना सदरपुर सीतापुर द्वारा अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्य के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु अवैध शराब कारोबार/तस्करी जैसे अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। अभियुक्त नरेन्द्र वर्मा अपनी आपराधिक गैंग का गैंग लीडर है। लालू उर्फ शिवम निवासी कोटरा थाना बिसवां सीतापुर व सुफील निवासी बसुदहा थाना सदरपुर सीतापुर इसके सक्रिय सदस्य है। अभियुक्तों के विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तों की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था। पुलिस को अपनी जांच में प्राप्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो गया कि अभियुक्तगण नरेन्द्र वर्मा, लालू उर्फ शिवम व सुफील उपरोक्त द्वारा अपराध कारित करके अवैध संपत्तियां एवम् वाहन क्रय किये गये। अपराध से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण से बचने के लिये अभियुक्त द्वारा क्रय की जाने वाली संपत्तियां अपने व अपने परिजनों के नाम से ली जाती थी परंतु अपराध से अर्जित संपत्तियों का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्त एवम् उसके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्तों नरेन्द्र वर्मा, लालू उर्फ शिवम व सुफील उपरोक्त द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश निर्गत किया।

जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्तों नरेन्द्र वर्मा, लालू उर्फ शिवम व सुफील उपरोक्त की निम्न संपत्तियों को पुलिस एवम् प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जब्त करने की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी।

अभियुक्तगण नरेन्द्र वर्मा, लालू उर्फ शिवम व सुफील उपरोक्त की जब्त की गयी सम्पत्तियों का विवरण

1	अभियुक्त सुफील उर्फ जहीर उपरोक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित एक रेउसा-बिसवां मार्ग पर मंगू चौराहे के पास गोधनी सरैया मोड़ पर स्थित एक अदद मकान।
2	अभियुक्त नरेन्द्र वर्मा उपरोक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित एक ईको स्पोर्ट कार संख्या यू.पी. 53 बीएक्स 0063
3	अभियुक्त लालू उर्फ शिवम उपरोक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित एक अपाचे मोटर साइकिल संख्या यू.पी. 34 एक्स 7640
सम्पूर्ण योग:- 51,12,000/- रू0 इक्यावन लाख बारह हजार रूपये।	

नरेन्द्र वर्मा पुत्र रामअकबाल वर्मा निवासी ग्राम नरेन्द्रपुर थाना सदरपुर सीतापुर का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 44/21 धारा 420/467/468/471 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना रेउसा सीतापुर।
- मु0अ0सं0 192/21 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना रेउसा सीतापुर।

सुफील पुत्र जहीर निवासी ग्राम बसुदहा थाना सदरपुर सीतापुर का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 44/21 धारा 420/467/468/471 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना रेउसा सीतापुर।
- मु0अ0सं0 192/21 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना रेउसा सीतापुर।

लालू उर्फ शिवम पुत्र नरेश चन्द्र निवासी ग्राम कोटरा थाना बिसवां सीतापुर का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 432/18 धारा 272/420/467/468/471 भादवि व 60/72 आबकारी अधिनियम थाना बिसवां सीतापुर।
- मु0अ0सं0 292/20 धारा 272/273/420 भादवि व 60/60(A) आबकारी अधिनियम थाना कमलापुर सीतापुर।
- मु0अ0सं0 44/21 धारा 420/467/468/471 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना रेउसा सीतापुर।
- मु0अ0सं0 77/21 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कमलापुर सीतापुर।
- मु0अ0सं0 151/21 धारा 420/467/468/471 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना रेउसा सीतापुर।
- मु0अ0सं0 152/21 धारा 25 (1-B) आर्म्स एक्ट थाना रेउसा सीतापुर।
- मु0अ0सं0 192/21 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना रेउसा सीतापुर।



